

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा/माध्य/छात्रवृत्ति/सेल-डी/ऑनलाईन योजनाएं/2022-23

दिनांक 15-1-23

समस्त

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

प्रारम्भिक/माध्यमिक

विषय : राज्य सरकार की पांच विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को शालादर्पण पोर्टल/पी.एस.पी (प्राइवेट स्कूल पोर्टल) पर ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान सत्र 2022-23 से निम्नलिखित पांच योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया को शालादर्पण पोर्टल/पीएसपी (प्राइवेट स्कूल पोर्टल) के माध्यम से बेनीफिशरी स्कीम पोर्टल द्वारा ऑनलाईन किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

योजनाओं के नाम (जिनको ऑनलाईन किया जा रहा है)	1. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की साइकिल वितरण योजना। (बजट घोषणा 2022-23 की घोषणा संख्या 55) 2. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना (बजट घोषणा 2022-23 की घोषणा संख्या 55) 3. विमुक्त घूमन्तू एवं अर्द्धघूमन्तू समुदाय के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण (बजट घोषणा 2021-22 की घोषणा संख्या 116) 4. आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों हेतु 15,000/रुपये की प्रोत्साहन योजना (बजट घोषणा 2017-18 की घोषणा संख्या 155) 5. राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना
आवेदन की प्रक्रिया	पात्र विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरवाया जाकर सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को अग्रेषित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा द्वारा पूरे जिले के आवेदन पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को अग्रेषित किये जायेंगे।
आवेदन की अंतिम तिथि	20.01.2023
आवेदन हेतु उत्तरदायित्व	समस्त विद्यालयों में उक्त योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन हेतु विद्यालय में छात्रवृत्ति के प्रभारी अधिकारी एवं संस्था प्रधान का दायित्व रहेगा।

उक्त समस्त योजनाओं का विस्तृत विवरण शालादर्पण पोर्टल/पी.एस.पी (प्राइवेट स्कूल पोर्टल) के मुख पृष्ठ पर बेनीफिशरी स्कीम टैब पर उपलब्ध है।

उक्त योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की साइकिल वितरण योजना। (बजट घोषणा 2022-23 की घोषणा संख्या 55)

1. योजना का नाम	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS)के छात्राओं को साइकिल वितरण योजना										
2. योजना का विवरण	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 06 से 08 तक की 5800 छात्राओं को घर से विद्यालय आने जाने के लिए निःशुल्क साइकिल वितरित की जायेगी।										
3. लाभान्वितों की संख्या	<table border="1"> <thead> <tr> <th>कक्षा</th><th>लाभान्वितों की संख्या</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td><td>1933</td></tr> <tr> <td>7</td><td>1933</td></tr> <tr> <td>8</td><td>1934</td></tr> <tr> <td>योग</td><td>5800</td></tr> </tbody> </table>	कक्षा	लाभान्वितों की संख्या	6	1933	7	1933	8	1934	योग	5800
कक्षा	लाभान्वितों की संख्या										
6	1933										
7	1933										
8	1934										
योग	5800										

4.	योजना का सम्बंधित विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
5.	पात्रता	- कक्षा 6 से 8 तक के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं। - माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक 1.00 लाख रुपये से कम हो। - न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वरीयता के आधार पर।
6.	आवेदन की प्रक्रिया	कक्षा 06 से 11 तक के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरवाया जाकर सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को अग्रेषित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा द्वारा पूरे जिले के आवेदन पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को अग्रेषित किये जायेंगे।
7.	आवश्यक दस्तावेज	- विद्यार्थी का आधार/जनाधार कॉर्ड। - अभिभावक का आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण-पत्र। - आय प्रमाण पत्र। - अंक तालिका। - नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र।
8.	देय लाभ	निःशुल्क साईकिल।

2. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना (बजट घोषणा 2022-23 की घोषणा संख्या 55)

(बजट योजना 2022-23 का विवरण संख्या 55)

1.	योजना का नाम	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना																																																						
2.	योजना का विवरण	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंधित राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जिन्होंने उक्त वर्ग के विद्यार्थियों में से कक्षा 10 एवं कक्षा 12 संकाय कला, वाणिज्य, विज्ञान, की परीक्षा में EWS श्रेणी के सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हैं, को रुपये 50,000/- पुरस्कार मय प्रशस्ति पत्र देय होगा।																																																						
3.	लाभान्वितों की संख्या	योजनान्तर्गत कुल 32 विद्यार्थियों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जावेगा:- <table border="1"> <tr> <th colspan="10">लाभार्थियों की कक्षावार संख्या</th> <th colspan="2" rowspan="3">सर्व योग (32)</th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">कक्षा 10</th> <th colspan="8">कक्षा 12</th> </tr> <tr> <th colspan="2">कला</th> <th colspan="2">विज्ञान</th> <th colspan="2">वाणिज्य</th> <th colspan="2">योग</th> </tr> <tr> <th>छात्र</th><th>छात्रा</th> <th>छात्र</th><th>छात्रा</th> <th>छात्र</th><th>छात्रा</th> <th>छात्र</th><th>छात्रा</th> <th>छात्र</th><th>छात्रा</th> <th>छात्र</th><th>छात्रा</th> </tr> <tr> <td>10</td><td>10</td> <td>02</td><td>02</td> <td>02</td><td>02</td> <td>02</td><td>02</td> <td>06</td><td>06</td> <td>16</td><td>16</td> </tr> </table>	लाभार्थियों की कक्षावार संख्या										सर्व योग (32)		कक्षा 10		कक्षा 12								कला		विज्ञान		वाणिज्य		योग		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	10	10	02	02	02	02	02	02	06	06	16	16
लाभार्थियों की कक्षावार संख्या										सर्व योग (32)																																														
कक्षा 10		कक्षा 12																																																						
		कला		विज्ञान		वाणिज्य		योग																																																
छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा																																													
10	10	02	02	02	02	02	02	06	06	16	16																																													
4.	योजना का संबंधित विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।																																																						
5.	पात्रता	- राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 10 एवं 12 संकाय कला, वाणिज्य, विज्ञान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हैं। - राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी भी प्रोत्साहन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी भी योजनान्तर्गत लाभ के पात्र होंगे।																																																						
6.	आवेदन प्रक्रिया	पात्र विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरवाया जाकर सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को अग्रेषित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा द्वारा पूरे जिले के आवेदन पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को अग्रेषित किये जायेंगे।																																																						
7.	आवश्यक दस्तावेज	- विद्यार्थी का आधार/जनाधार कॉर्ड। - अभिभावक का आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण-पत्र। - अंक तालिका। - नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र।																																																						
8.	देय लाभ	एक मुश्त रु 50,000/- एवं प्रशस्ति पत्र।																																																						

3

3. विमुक्त घूमन्तू एवं अर्द्धघूमन्तू समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल वितरण
(बजट घोषणा 2021-22 की घोषणा संख्या 116)

1.	योजना का नाम	विमुक्त घूमन्तू एवं अर्द्धघूमन्तू समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल वितरण																																				
2.	योजना का विवरण	विमुक्त घूमन्तू एवं अर्द्धघूमन्तू समुदाय के कक्षा 06 से 11 तक अध्ययनरत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल वितरण की जावेगी।																																				
3.	लाभान्वितों की संख्या	<table><tr><th rowspan="2">कक्षा</th><th colspan="2">प्रस्तावित लक्ष्य</th><th rowspan="2">कुल</th></tr><tr><th>छात्र</th><th>छात्रा</th></tr><tr><td>6</td><td>350</td><td>350</td><td>700</td></tr><tr><td>7</td><td>350</td><td>350</td><td>700</td></tr><tr><td>8</td><td>350</td><td>350</td><td>700</td></tr><tr><td>9</td><td>205</td><td>206</td><td>411</td></tr><tr><td>10</td><td>205</td><td>206</td><td>411</td></tr><tr><td>11</td><td>205</td><td>206</td><td>411</td></tr><tr><td>कुल</td><td>1665</td><td>1668</td><td>3333</td></tr></table>			कक्षा	प्रस्तावित लक्ष्य		कुल	छात्र	छात्रा	6	350	350	700	7	350	350	700	8	350	350	700	9	205	206	411	10	205	206	411	11	205	206	411	कुल	1665	1668	3333
कक्षा	प्रस्तावित लक्ष्य		कुल																																			
	छात्र	छात्रा																																				
6	350	350	700																																			
7	350	350	700																																			
8	350	350	700																																			
9	205	206	411																																			
10	205	206	411																																			
11	205	206	411																																			
कुल	1665	1668	3333																																			
4.	योजना का सम्बंधित विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।																																				
5.	पात्रता	- कुल शामिल 32 जातियों (विमुक्त जातियाँ 9 घूमन्तू एवं अर्द्धघूमन्तू जातियाँ 10 एवं अर्द्धघूमन्तू जातियाँ 13) के विद्यार्थी। (राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-1(एफ)(2)एस डब्ल्यू/63दिनांक 24.02.1964 के परिशिष्ट 'ए' अनुसार) - कक्षा 06 से 11 तक में अध्ययनरत राजकीय एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सम्बद्ध निजी शिक्षण संस्थाओं के छात्र एवं छात्राएँ (50 प्रतिशत छात्र एवं 50 प्रतिशत छात्राएँ) - उन विद्यार्थियों को दोबारा लाभ नहीं दिया जायेगा जिन्हें इस योजना के अंतर्गत एक बार लाभान्वित किया जा चुका हो। - प्रत्येक कक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे।																																				
6.	आवेदन प्रक्रिया	पात्र विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरवाया जाकर सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को फॉरवर्ड किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा द्वारा पूरे जिले के आवेदन पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को फॉरवर्ड किये जायेंगे।																																				
7.	आवश्यक दस्तावेज	- विद्यार्थी का आधार/जनाधार कार्ड। - जाति प्रमाण पत्र। - अंक तालिका। - नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र।																																				
8.	योजनान्तर्गत देय लाभ	निःशुल्क साईकिल																																				

4. आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के राजकीय/निजी विद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों हेतु 15,000/- रुपये की प्रोत्साहन योजना (बजट घोषणा 2017-18 की घोषणा संख्या 155)

1.	योजना का नाम	आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना
2.	योजना का विवरण	राजकीय/निजी विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रत्येक संकाय (विज्ञान, वाणिज्य, कला) की घोषित राज्य स्तरीय मेरिट में आने वाले प्रथम 100-100 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को एक मुश्त 15,000/- रु एवं प्रशस्तिपत्र देय है।

3.	लाभान्वितों की संख्या	<table border="1"> <thead> <tr> <th>कस</th><th>परीक्षा का नाम</th><th>विद्यार्थी संख्या</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>माध्यमिक (10)</td><td>98</td></tr> <tr> <td>2</td><td>प्रवेशिका</td><td>02</td></tr> <tr> <td>3</td><td>उ.मा. (12) विज्ञान</td><td>98</td></tr> <tr> <td>4</td><td>उ.मा. (12) वाणिज्य</td><td>98</td></tr> <tr> <td>5</td><td>उ.मा. (12) कला</td><td>98</td></tr> <tr> <td>6</td><td>वरिष्ठ उपाध्याय</td><td>06</td></tr> <tr> <td></td><td>योग</td><td>400</td></tr> </tbody> </table>	कस	परीक्षा का नाम	विद्यार्थी संख्या	1	माध्यमिक (10)	98	2	प्रवेशिका	02	3	उ.मा. (12) विज्ञान	98	4	उ.मा. (12) वाणिज्य	98	5	उ.मा. (12) कला	98	6	वरिष्ठ उपाध्याय	06		योग	400
कस	परीक्षा का नाम	विद्यार्थी संख्या																								
1	माध्यमिक (10)	98																								
2	प्रवेशिका	02																								
3	उ.मा. (12) विज्ञान	98																								
4	उ.मा. (12) वाणिज्य	98																								
5	उ.मा. (12) कला	98																								
6	वरिष्ठ उपाध्याय	06																								
	योग	400																								
4.	योजना का सम्बंधित विभाग	शिक्षा विभाग ।																								
5.	पात्रता	1. विद्यार्थी सामान्य संवर्ग का हो। 2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10, प्रवेशिका, 12 एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। 3. विद्यार्थी के माता-पिता की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रु 2.5 लाख से कम हो।																								
6.	आवेदन प्रक्रिया	पात्र विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरवाया जाकर सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को फॉरवर्ड किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा द्वारा पूरे जिले के आवेदन पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को फॉरवर्ड किये जायेंगे।																								
7.	आवश्यक दस्तावेज	1. विद्यार्थी का आधार/जनाधार कॉर्ड। 2. अंकतालिका की प्रति। 3. आय प्रमाणपत्र।																								
8.	योजनान्तर्गत देय लाभ	एक मुश्त रु 15,000/- एवं प्रशस्तिपत्र																								

5. राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना

1.	योजना का नाम	कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना
2.	योजना का विवरण	1. राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रा द्वारा राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण करने के पश्चात राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत रहने पर 2000/- रुपये की एस.टी.डी.आर. पांच वर्ष की देय है। 2. इसी प्रकार उक्त छात्रा को राजकीय विद्यालय में अध्ययनरतरह कर कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत रहने पर 4000/- रुपये की एस.टी.डी.आर. तीन वर्ष की अवधि की देय है।
3.	लाभान्वितों की संख्या	समस्त पात्र बालिकाएं।
4.	योजना का सम्बंधित विभाग	शिक्षा विभाग ।
5.	पात्रता	1. राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रा। 2. राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण उक्त छात्राएं। 3. राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 12 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण उक्त छात्राएं। 4. उक्त छात्राएं स्नातक स्तर तक नियमित अध्ययनरत हों।

6.	आवेदन प्रक्रिया	पात्र विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरवाया जाकर सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को फॉरवर्ड किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा द्वारा पूरे जिले के आवेदन पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को फॉरवर्ड किये जायेंगे।									
7.	आवश्यक दस्तावेज	1. विद्यार्थी का आधार/जनाधार कॉर्ड। 2. अंकतालिका की प्रति। 3. नियमित अध्ययनरत का प्रमाण पत्र।									
8.	योजनान्तर्गत देय लाभ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>कसं</th><th>कक्षा</th><th>देय एस.टी.डी.आर.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>11 अध्ययनरत</td><td>2,000 /- पांच वर्षीय</td></tr> <tr> <td>2</td><td>स्नातक अध्ययनरत</td><td>4,000 /- तीन वर्षीय</td></tr> </tbody> </table>	कसं	कक्षा	देय एस.टी.डी.आर.	1	11 अध्ययनरत	2,000 /- पांच वर्षीय	2	स्नातक अध्ययनरत	4,000 /- तीन वर्षीय
कसं	कक्षा	देय एस.टी.डी.आर.									
1	11 अध्ययनरत	2,000 /- पांच वर्षीय									
2	स्नातक अध्ययनरत	4,000 /- तीन वर्षीय									

उक्त समस्त योजनाओं का विस्तृत विवरण शालादर्पण पोर्टल/पी.एस.पी (प्राइवेट स्कूल पोर्टल) के मुख पृष्ठ पर बेनीफिशरी स्कीम पोर्टल (<https://rajshaladarpan.nic.in/sd1/BSP/Home/Scheme-Details.aspx>) पर उपलब्ध है। आपके अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित कर समस्त पात्र विद्यार्थियों से आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 20.01.2023 तक ऑनलाईन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु स्थानीय स्तर पर प्रमुख समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवायें एवं शाला स्तर पर आयोजित पी0टी0एम0, अन्य कार्यक्रमों एवं प्रार्थना सभा के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करावें।



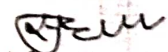
(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर
4. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को आवेदन प्रक्रिया के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्रक्रिया के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. उपनिदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
8. सहायक निदेशक, मॉनेटरिंग कार्यालय हाजा।
9. समस्त संस्था प्रधान को आवश्यक पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।



प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा/माध्य/छात्रवृत्ति/रोल-डी/च.घो.55/मु.शि.अलंकार पु.यो/2022-23 दिनांक : 23.12.22

उपायुक्त-तृतीय
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
जयपुर।

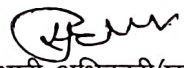
विषय : छात्रवृत्ति अनुभाग की विभिन्न योजनाओं को शालादर्पण पोर्टल/पी.एस.पी पोर्टल पर
ऑनलाईन (E.E.D) लाईव करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निम्नांकित योजनाओं का वर्तमान शैक्षणिक सत्र में ऑनलाईन (E.E.D) किया जाना है :-

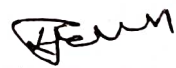
1. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण योजना।
2. राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 एवं 12 संकायवार (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) वरीयतानुसार सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना।
3. बजट घोषणा 116/2021-22 की क्रियान्विती के अंतर्गत में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 06 से 11 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल वितरण योजना।
4. सामान्य संवर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 एवं 12 के मेधावी विद्यार्थियों हेतु 15000/- रुपये की प्रोत्साहन योजना (बजट घोषणा 155)
5. कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं की एसटीडीआर योजना।

उपर्युक्त योजनाओं को ऑनलाईन (E.E.D) करने के संबंध में विभिन्न स्तर पर पत्राचार एवं दिनांक 09.12.2022 को आयोजित वीडियो के माध्यम से चर्चा उपरान्त टेस्टिंग लिंक <https://rajshaladarpan.nic.in/sd1/BSP/Home/Login.aspx> जारी किया गया था। उक्त क्रम में निवेदन है कि उल्लेखित 5 योजनाओं को यथाशीघ्र लाईव किया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाये जाने का श्रम करें।


प्रभारी अधिकारी(छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त योजना का आवेदन शालादर्पण पर ऑनलाईन लाईव करवाने का श्रम करावें।
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
5. उपनिदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
6. सहायक निदेशक, मॉनेटरिंग कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी(छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर